न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा जिला-उदयपुर (राज0)

निर्णय पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी (RAS)

दायर दिनांक: 29/02/2024

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 09/2024

GCMS NO. : 2024/07

--:प्रार्थी :--

1. मुकेश कुमार पिता अमृतलाल जाति -- मीणा
निवासी-बंजारिया,
तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज.)

बनाम

--:अप्रार्थी :--

भूअभिलेख तहसीलदार,तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर।

राजस्व प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम, प्रार्थना -पत्र वास्ते इन्द्राज दुरस्ती एंव शुद्धी बाबत्।

उपस्थित : 1. श्री सन्देश कोठारी , अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. तहसीलदार खेरवाडा, अप्रार्थी ।

दिनांक:-25/07/2024

--:: निर्णय ::--

प्रार्थी द्वारा जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम वास्ते इन्द्राज दुरस्ती एंव शुद्धी बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व गांव बंजारिया तह. खेरवाडा के जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के खाता सं 445 में ,खसरा नं. 3045/2 रकबा .05 हैक्टर भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम पर है तथा जिसका स्वामित्व तथा आधिपत्य प्रार्थी के पास है।`यह कि प्रार्थी ने नामान्तरण सं. 673 गांव बंजारिया तह.खेरवाडा के अनुसरण में अपने भूमि के खाते के खसरा न0 3040/2 का आबादी मे संपरिवर्तन करवाया जिसका कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर का आदेश कमांक एफ4() राज./बी/भू.रू./ग्रा. 2008/08 दिनाक 15.07.2008 है जिसके तहत मौजा बंजारिया तह.खेरवाडा के खसरा न.3040/2 कुल रकबा 0.05 है अर्थात 500 वर्गमीटर भूमि का आवासीय में सपरिवर्तन करवाया। यह कि तत्पश्चात रोटेशन जमाबंदी संवत 2068 गांव बंजारिया तह.खेरवाडा के खाता सं. 329 में प्रार्थी मुकेश कुमार पिता अमतृलाल के खाते के नवीन खसरा न. 3045/2 रकबा 0.05 है भुमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई उसी अनुसार नक्शा ट्रैस मे 3045/2 दर्ज किये गये तथा नामान्तरण सं.673,667 का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में किया गया । यह तत्पश्चात राजस्व ग्राम बंजारिया के बाद की रोटेशन जमबांदी संवत 2072 से 2075, 2076 से 2079 मे भी प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र अमतृलाल के भुमि के खसरा नं. 3045/2 रकबा 0.5 है भुमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। यह प्रार्थी ने नामान्तरण संख्या 673 गांव बंजारिया तह. खेरवाडा के अनुसरण मे प्रार्थी के खाते के खसरा न. 3040/2 रकबा 0.5 है कृषि भूमि का आबादी में संपरिवर्तन करवाया जिसका आदेश कमाक एफ 4() राज /बी /भू.रू./ग्रा. 2008/26/08 दिनांक 15.07.2008 है लेकिन वास्तव मे आगे की रोटेशन जमाबंदी में 3040 /2 के स्थान पर 3045/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ। जिस कारण उपरोक्त आदेश मे संशोधन कर शुद्वि करना आवश्यक हो गया है। यह कि राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में बंटवारे के नामान्तरण सं. 673 गांव बंजारिया में प्रार्थी का खसरा न.3040/2 के स्थान पर आगे की रोटेशन जमाबंदी मं 3045/2 दर्ज किया गया तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस में भी 3045/2 ही है । यह कि गांव बंजारिया तह. खेरवाडा के तहसीलदार के आदेश कमाक एफ4()राज /बी./ भू.रू/ग्रा.2008/26/08 दिनांक 15.07.2008 है से खसरा न.3040/2 के स्थान पर नया खसरा न. 3045/2 रकबा .05 है आबादी भूमि का अंकन कर् संशोधन करना न्यायहीत में आवश्यक तथा सुसंगत है। यह कि प्रार्थी ने अक्टुबर 2023 में बैंक मे अपनी भूमि पर टोपअप हाउस लोन के लिए बैंक में सम्पर्क किया तथा दस्तावेज बैंक मे दिखाये तो जमीन के संपरिवर्तन दस्तावेज में खसरा न. बदलने की जानकारी मिली तथा पटवारी हल्का तथा तहसीलदार साहब खेरवाडा में इस बारे मे जानकारी करने पर पता लगा के रोटेशन जमाबंदी मे 3040/2 के स्थान पर 3045/2 हो गया है तथा खसरा नं. 3045/2 ही सही खसरा नम्बर है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कार्यालय तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर के संपरिवर्तन आदेश कमाक एफ4() राज./बी./भु.रू./ग्रा.2008/26/08 दिनांक 15.07.2008 में गांव बंजारिया तह.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

खेरवाड़ा जिला उदयपुर के खसरा नं.3040/2 के स्थान पर 3045/2 करने की शुद्धी करवाकर संशोधित आदेश तथा भूमि का वर्गीकरण आबादी दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार खेरवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया कि यह कि प्रार्थी ने नामान्तरण संख्या 673 गाँव बंजारिया तहसील खेरवाडा के अनुसरण में प्रार्थी के खाते के खसरा संख्या 3040/2 का रकबा 0.05 हेक्टर कृषि भूमि का आबादी संपरिवर्तन करवाया जिसका आदेश कमांक एफ4()राज./बी. /भु.रू./ग्रा.2008/26/08 दिनांक 15.07.2008 है लेकिन वास्तव में आगे की रोटेशन जमाबंदी में 3040/2 के स्थान पर 3045/2 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुआ ऑनलाईन सेग्रिगेशन होने से आराजी न. 3040 /2 के स्थान पर 3045/2 सेग्रिगेशन के पश्चात हुआ है। यह कि राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी में बंटवाडे के नामान्तरण से 673 ग्राम बंजारिया में प्रार्थी का 3040/2 के स्थान पर आगे की रोटेशन जमाबंदी में 3045/2 दर्ज किया गया तथा वर्तमान नक्शा ट्रेस नम्बर में भी 3045/2 ही है । ऑनलाईन सेग्रिगेशन होने से आराजी नम्बर 3040/2 के स्थान पर 3045/2 सेग्रिगेशन के पश्चात हुआ है । यह कि राजस्व ग्राम बंजारिया के तहसीलदार के आदेश कमाक एफ4()राज./बी.भु.रू./ग्रा.2008/26/08 दिनांक 15.07.2008 है में खसरा संख्या 3040/2 के स्थान पर नया खसरा संख्या 3045/2 रकबा 0.05 हेक्टर आबादी भुमि का अंकन कर संशोधन करना न्यायहित में आवश्यक तथा सुसंगत है। आराजी नम्बर 3040/2 सेग्रिगेशन के पश्चात 3045/2 हुआ है वर्तमान खसरा संख्या 1 से निरन्तर चलते है इसी वजह से 3040/2 की जगह आराजी नम्बर 3040/790 अम्बा पुत्र जीवा वगैरह सहखातेदारो को आंवटित हुआ है ऐसे ही निरन्तर चलने से सेग्रिगेशन में कई आराजी नम्बरो में परिवर्तन हुआ है , जो शुद्धी किया जाना उचित नही है । अप्रार्थी के जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में शुद्धी किया जाना उचित नही है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भु–राजस्व अधिनियम का वास्ते इन्द्राज दुरस्ती एंव शुद्धी बाबत् का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार खेरवाडा को निदेर्शित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम से पुर्व में जारी संपरिवर्तन आदेशः कमांकएफ4()राज./बी.भु.रू./ग्रा.2008/26/08 दिनांक 15.07.2008 में संशोधन कर भूमि का खसरा संख्या 3040/2 के स्थान पर खसरा संख्या 3045/2 का संशोधित आदेश जारी करे तथा जमाबंदी में उक्त खसरे की किस्म आवासीय दर्ज करे ।.आदेश की पालनार्थ तहसीलदार को तहरीर जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/07/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जिला– उदयपुर (राज0)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with CamScanner